जागरूकता विकास श्रृंखला - 7

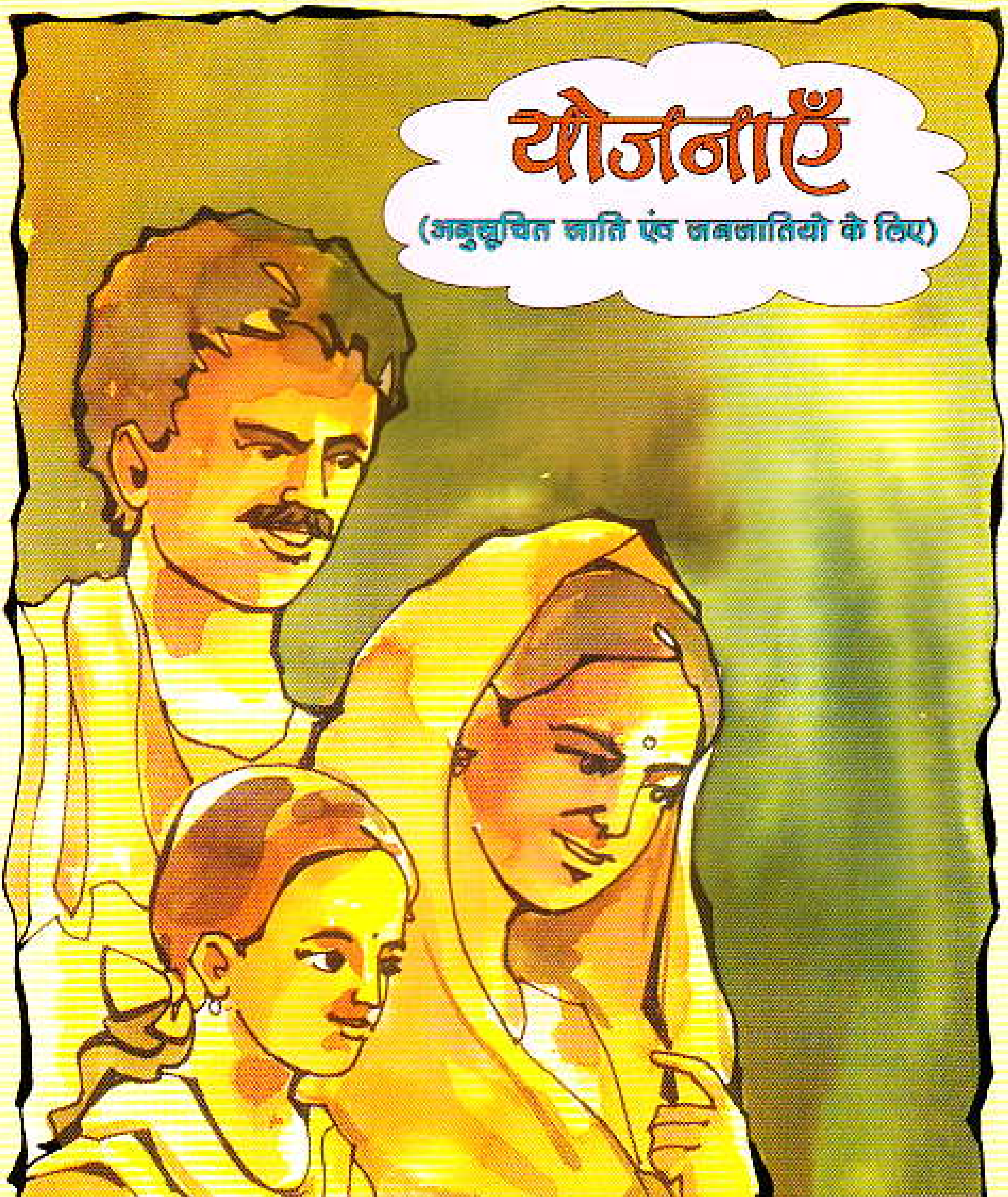

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, इन्दौर (म.प्र.)

जागरूकता श्रृंखला - 7

योजनाएँ

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए

कोड नं.	:	003 (III)
प्रस्तुति	:	रेखा टेलर
		शीतल मेहरा
		धनसिंह वर्मा
संपादन	:	तारा जायसवाल
चित्रांकन	:	इस्माइल लहरी
संस्करण	:	प्रथम, अगस्त 2007
प्रतियाँ	:	1000
मूल्य	:	11/-

© प्रकाशकाधीन

प्रकाशक : भारतीय ग्रामीण महिला संघ, म.प्र. शाखा
महालक्ष्मी नगर, सेक्टर आर, इन्दौर - 452010
फोन : 2551917, 2574104, फैक्स : 0731-2551573
Email : srcindore@dataone.in
literacy@satyam.net.in

मुद्रक : कलर ग्राफिक्स, राजेन्द्र नगर, इंदौर

आमुख

हमारे प्रदेश में शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए अनेक शासकीय योजनाएँ चलाई जा रही हैं। बहुत से नवसाक्षर ऐसे हैं जिन्हें इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। इस कारण वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। नवसाक्षरों को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने हेतु **योजनाएँ** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए पुस्तिका तैयार की गई है।

प्रस्तुत पुस्तिका हेतु लेखन **श्रीमती रेखा टेलर, श्रीमती शीतल मेहरा** एवं **श्री धनसिंह वर्मा** द्वारा किया गया है। इस पुस्तिका में सरल भाषा में शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। पुस्तिका हेतु चित्रांकन **श्री इस्माइल लहरी** द्वारा किया गया है। केन्द्र इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता है।

आशा है, यह पुस्तिका नवसाक्षरों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आपकी प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा।

कुन्दा सुपेकर
निदेशक
राज्य संसाधन केन्द्र
प्रौढ़ शिक्षा, इन्दौर (म.प्र.)

विषय सूची

अध्याय 1	पृष्ठ
● अनुसूचित जनजाति के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाएँ	3
● आकस्मिकता योजना	4
● राहत योजना	5
अध्याय 2	
● सभी जातियाँ एक समान	6
● अन्तर्जातीय विवाह योजना	
● ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना	7
● सद्भावना शिविर	8
● अस्वच्छ धंधों में कार्यरत लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति	9
● अनुसूचित जाति बस्ती योजना	10
अध्याय 3	
● कक्षा 1ली से 5वीं तक छात्रवृत्ति/कन्या प्रोत्साहन योजना	11
● कक्षा 6ठी से 10वीं तक छात्रवृत्ति योजना	12
● मेधावी छात्रवृत्ति योजना	13
● पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रोत्साहन राशि योजना	14
अध्याय 4	
● पब्लिक स्कूलों में प्रवेश हेतु योजना	16
● विधि स्नातकों की सहायता हेतु योजना	16
● पायलेट प्रशिक्षण योजना	17
● उच्च शिक्षा या विदेश अध्ययन के लिए जाने हेतु योजना	17
● एयर होस्टस/स्टीवर्ड प्रशिक्षण योजना	18
अध्याय 5	
● सामान्य छात्रावास	19
● उत्कृष्ट छात्रावास	20
● सम्भागीय आवासीय विद्यालय	21
● पोस्ट मेट्रिक छात्रावास	22
● छात्रावास योजना	22
अध्याय 6	
● स्वरोजगार योजनाएँ	23
● औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु शिष्यवृत्ति योजना	23
● इण्डो जर्मन टूल्स प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण योजना	24

अध्याय 1

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाएँ

प्राचीनकाल से अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ अन्य वर्गों द्वारा उपेक्षित व्यवहार किया जाता रहा है। उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। सामाजिक भेदभाव के कारण इस वर्ग का विकास नहीं हो पाया। कई कारण इस वर्ग के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी रहे हैं । जैसे-

- छुआछूत
- शिक्षा की कमी
- अज्ञानता
- रूढ़िवादिता
- आर्थिक रूप से कमजोर होना आदि।

अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनका विवरण पुस्तिका में दिया जा रहा है-

आकस्मिकता योजना

1995 में शासन द्वारा आकस्मिकता योजना प्रारम्भ की गई। अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को सवर्ण द्वारा जानबूझकर शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुँचाने पर इस योजना के अन्तर्गत सहायता पहुँचाई जाती है। गाली-गलौज या अपशब्दों द्वारा संबोधित कर अपमानित करने पर यह योजना लागू होती है।

पात्रता

- शिकायतकर्ता जो वास्तव में शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है।
- पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का होना आवश्यक है।
- इस प्रकार की घटना से प्रभावित व्यक्ति को शासन द्वारा 25 हजार से 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जा सकती है।

सम्पर्क

- जिला स्तर पर जिला संयोजक/क्षेत्र संयोजक/सहायक आयुक्त आदिम जाति

कल्याण विभाग में सम्पर्क कर सकते हैं।

- विकासखण्ड स्तर पर मंडल संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग में सम्पर्क कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आवेदन-पत्र निःशुल्क दिए जाते हैं।

राहत योजनाएँ

जरूरतमंद लोगों के लिए शासन ने 1979 से ''राहत योजना''शुरू की है। आवश्यकता के आधार पर पात्र व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य प्रताड़ना से उबारकर आर्थिक रूप से परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है।

पात्रता, हितग्राही चयन

- व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का हो।
- परिवार के मुखिया से भरण पोषण नहीं हो पा रहा हो।
- मुखिया का अचानक निधन हो गया हो या वह लम्बी बीमारी से कमजोर हो गया हो।

सहायता राशि

पात्र व्यक्ति को 2000/- रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जा सकती है।

सम्पर्क

- जिला स्तर पर जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग।
- विकास खण्ड स्तर पर मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।

अध्याय 2

सभी जातियाँ एक समान

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य

सामान्य व अनुसूचित जातियों के बीच समानता की भावना को प्रोत्साहन देना।

पात्रता हितग्राही चयन

एक पक्ष अनुसूचित जाति का हो व दूसरा सामान्य वर्ग का। वे विवाह बंधन में बंधते हैं तो-

- पुरस्कार स्वरूप 10,000/- की राशि एवं प्रशंसा-पत्र प्रदान किया जाता है। इसमें प्रथम सामान्य वर्ग का नाम होता है। वर्तमान में यह राशि 50,000/- तक होने की सम्भावना है। पात्र व्यक्ति आवेदन करके लाभ ले सकते हैं।
- आवेदन-पत्र आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में निःशुल्क प्रदान

सम्पर्क

- जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग।
- विकास खण्ड स्तर पर मण्डल संयोजक से सम्पर्क करें।

ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के सामान्य व निम्न वर्गों के बीच दूरी समाप्त करना है।

हितग्राही

वह ग्राम पंचायत जो सामान्य जाति वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के बीच की दूरी को कम करने के लिए कोशिश करे। जैसे-कुओं, तालाबों, मंदिरों, नलों पर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक कार्यों में समानता लाने का सफल प्रयास करे।

प्रोत्साहन राशि

5000/- की राशि उस ग्राम पंचायत के सरपंच को पुरस्कार के रूप में दी जाती है। यह राशि ग्राम विकास के कार्यों में खर्च की जाती है।

सद्‌भावना शिविर

अस्पृश्यता निवारण हेतु शासन एक ''सद्‌भावना शिविर'' का आयोजन करता है। जिसकी सूचना निर्धारित गाँव को पहले से दे दी जाती है।

उद्‌देश्य

इसका मूल उद्‌देश्य अनुसूचित जाति के प्रति छुआछूत की भावना को समाप्त करना है।

कार्य क्षेत्र

अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में।

इसका आयोजन वर्ष में एक बार किसी भी चुने हुए ग्राम में होता है। शासन अनेक सांस्कृतिक व खेलकूद कार्यक्रमों को आयोजित करता है। शासन के विभिन्न विभाग

भी शासकीय योजनाओं की जानकारी व प्रचार-प्रसार के लिए इकट्ठे होते हैं। एक सहभोज का आयोजन किया जाता है। इसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग शामिल होते हैं।

अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देना है ताकि वे अपना जीवन स्तर ऊँचा कर सकें।

पात्रता

जो लोग अस्वच्छ धंधों में कार्यरत हों। जैसे :-

- मैला ढोने वाले कार्य।
- मरे पशुओं का चमड़ा निकालना व पकाने का कार्य करने वालों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

छात्रवृत्ति की राशि

- 1ली से 5वीं तक के बच्चों को 950 रुपये प्रति वर्ष।
- 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए 1150 रुपये प्रति वर्ष।
- 9वीं से 10वीं तक 1300 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है।

अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना

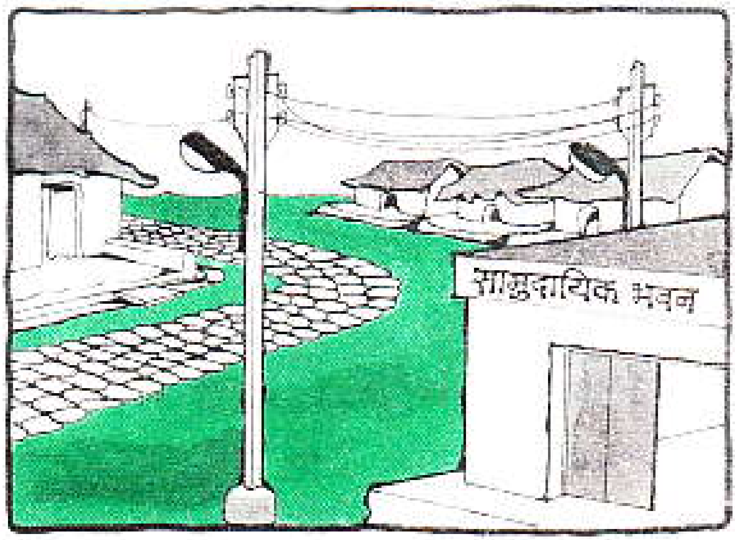

यह योजना ऐसे क्षेत्र में चलाई जाती है जहाँ अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की 50% जनसंख्या हो। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं -

- खरंजा निर्माण
- नाली निर्माण
- सार्वजनिक शौचालय निर्माण
- सामुदायिक भवन निर्माण।

अध्याय 3

छात्रवृत्ति योजनाएँ

शिक्षा के क्षेत्र में जाति के आधार पर कोई भी पीछे न रहे, सब समान स्तर पर आ सकें ताकि विकास के क्षेत्र में सब एक साथ आगे बढ़ें। इस उद्देश्य से यह छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति प्रायमरी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दी जाती है। इन कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को इसकी पात्रता है।

छात्रवृत्ति योजनाएँ -

1ली से 5वीं कक्षा तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को प्रति वर्ष 150 रुपये छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है।

कन्या प्रोत्साहन योजना

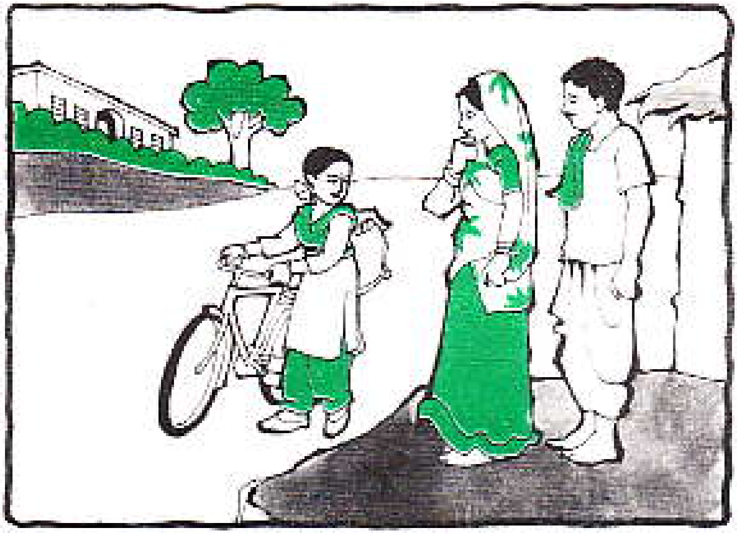

इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के अलावा छठी कक्षा की छात्रा को 500 रुपये 9वीं कक्षा की छात्रा को 1,000 रुपये व 11वीं कक्षा की छात्रा को 2,000 रुपये अथवा साइकिल दी जाती है।

सम्पर्क - योजना के सम्बन्ध में जानकारी लेने हेतु शाला के प्रधानाध्यापक से सम्पर्क करें ।

राज्य छात्रवृत्ति योजना

छात्रवृत्ति की राशि अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं के लिए अलग-अलग है।

पात्रता

अनुसूचित जाति-

- कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बालकों के लिए 200 रुपये और बालिकाओं के लिए

300 रुपये प्रति वर्ष।

अनुसूचित जनजाति-

- कक्षा 9वीं व 10वीं तक के बालकों के लिए 400 रुपये और बालिकाओं के लिए 400 रुपये प्रतिवर्ष।

पिछड़ा वर्ग-

- कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बालकों के लिए 200 रुपये और बालिकाओं के लिए 300 रुपये प्रतिवर्ष।
- कक्षा 9वीं व 10वीं तक के बालकों के लिए 300 रुपये और बालिकाओं के लिए 400 रुपये प्रति वर्ष ।

नोट-पालक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

मेधावी छात्रवृत्ति योजना

मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रावीण्य व मेधावी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। इसमें निम्नानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है-

- कक्षा 5वीं बोर्ड की परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने पर 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए (3 वर्ष के लिए) 400 रुपये प्रति वर्ष।
- 8वीं बोर्ड की परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने पर 9वीं व 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए (2 वर्ष के लिए) 500 रुपये प्रतिवर्ष।
- छात्रवृत्ति के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें व छात्राओं को गणवेश निःशुल्क दिए जाते हैं।

- अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं को आवेदन हेतु आवेदन-पत्र निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। यह कार्य आदिम जाति कल्याण विभाग करता है।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना

पात्रता

- अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना।
- यह छात्रवृत्ति कक्षा11वीं से लेकर शिक्षा पूर्ण होने तक सभी छात्र-छात्राओं के लिए होती है।
- अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या कम होने पर छात्रवृत्ति व पूर्ण शैक्षणिक शुल्क दिया जाता है।
- अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से 1 लाख 20 हजार रुपये तक होने पर पूर्ण शैक्षणिक शुल्क दिया जाता है छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।
- अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार से 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होने पर आधा शैक्षणिक शुल्क दिया जाता है।
- छात्रावासी छात्रवृत्ति व गैर छात्रावासी छात्रवृत्ति की दरों में अन्तर होता है।

नोट

- शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही सभी संस्थाओं को देय होगा। अधिक होने की स्थिति में छात्रों को व्यवस्था करनी होगी।
- पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी जाएगी। नवीनीकरण जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

- पिछड़े वर्ग के लिए यह छात्रवृत्ति अलग नियमों एवं अलग दरों में दी जाती है। जिन पालकों की वार्षिक आय 44,500 रुपये से कम है उनके बालकों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति सिर्फ मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु दी जाती है।
- अन्य समस्त उच्च शिक्षा कॉलेजों में किसी भी कोर्स में प्रवेश लेने के लिए वार्षिक आय सीमा 25,000 रुपये रखी गई है।

(किसी भी प्रकार का शुल्क या छात्रवृत्ति शासन द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।)

लोकसेवा आयोग एवं संघ लोकसेवा आयोग

प्रोत्साहन राशि योजना

अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थी यू.पी.एस.सी. या पी.एस.सी. की परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं। उनके लिए शासन ने पुरस्कार स्वरूप राशि देने की योजना लागू की है।

संघ लोकसेवा आयोग	मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग
• प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 40,000/- • मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60,000/- • साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर 50,000/- की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है।	• प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 20,000/- • मुख्य परीक्षा पास करने पर 30,000/- • साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर 25,000/- की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है।

अध्याय 4

प्रवेश हेतु योजना

पब्लिक स्कूलों में प्रवेश हेतु योजना

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य है - अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के योग्य बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके।

पात्रता

- पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख 50 हजार रुपये या इससे कम हो।
- छात्र अनुसूचित जाति या जनजाति का हो।
- आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इन हितग्राही बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है।
- उस स्कूल द्वारा लिए गए मूल्यांकन टेस्ट में सफल होने पर चुने हुए विद्यार्थी को प्रवेश लेने पर शुल्क शासन द्वारा दिया जाता है।

विधि स्नातकों को सहायता योजना

पात्रता

अनुसूचित जाति व जनजाति का विद्यार्थी विधि स्नातक।

यदि ये स्नातक विधि व्यवसाय को पेशे के रूप में प्रारंभ करना चाहता है तो उसे एक वर्ष तक प्रतिमाह 200 रुपये सहायता राशि शासन की ओर से दी जाती है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अपने व्यवसाय को प्रारंभ करके सफलता की दिशा में पहला कदम रखने की हिम्मत व प्रेरणा देना है।

पायलेट प्रशिक्षण योजना

अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी भी चयनित छात्र को पायलेट प्रशिक्षण शुल्क का पूर्ण भुगतान शासन करता है।

पात्रता

छात्र के पालक की वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये वार्षिक या इससे कम हो।

उच्च शिक्षा या अध्ययन हेतु विदेश जाने के लिए योजना

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति के चयनित विद्यार्थी विदेश अध्ययन के लिए जा सकते हैं। इनकी शिक्षा पर होने वाला खर्च शासन वहन करेगा।

पात्रता

जिन विद्यार्थियों के पालकों की मासिक आय 25,000 रुपये या इससे कम है।

एयर होस्टेस/स्टीवर्ड प्रशिक्षण योजना

शासन ने एयर होस्टेस/स्टीवर्ड प्रशिक्षण की योजना चलाई है। प्रशिक्षण के लिए

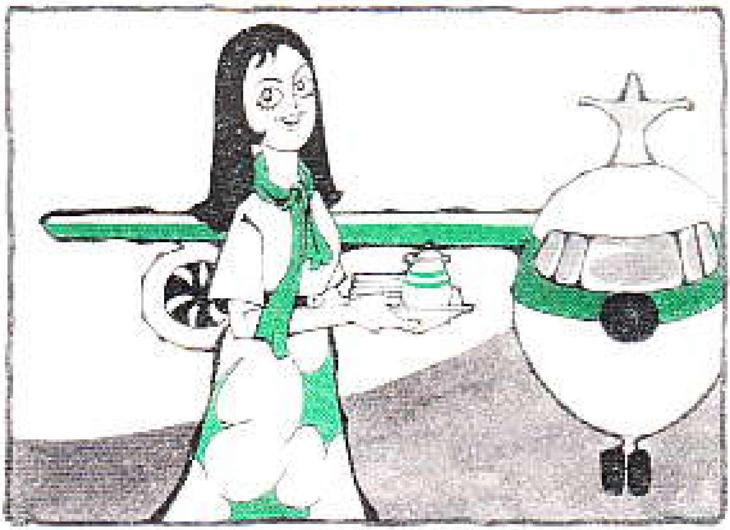

चुने गए छात्र-छात्राओं के लिए यह योजना है। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 15 छात्र और 15 छात्राओं का चयन किया जाएगा।

पात्रता

- 12वीं उत्तीर्ण छात्र या छात्रा।
- पालकों की वार्षिक आय सीमा 5 लाख रुपये या इससे कम हो।
- 85% खर्च शासन द्वारा उठाया जाएगा।
- 15% खर्च विद्यार्थी को वहन करना होगा।

अध्याय 5

आवासीय छात्रावास एवं संभागीय आवासीय विद्यालय

दूरदराज के गाँवों में रहने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के सामने कुछ समस्याएँ आती हैं। जैसे-प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखना। कई ग्रामों में आज भी 5वीं के बाद पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए शासन की आवासीय छात्रावास योजनाएँ चल रही हैं।

सामान्य छात्रावास

पात्रता

- बालक-बालिका अनुसूचित जाति या जन जाति के हों।
- कक्षा 6ठी से 10वीं तक के बालकों और 6ठी से 12वीं तक बालिकाओं के लिए छात्रावास की सुविधा दी जाती है।

- बालक-बालिकाओं ने किसी शाला में प्रवेश लिया हो।
- निवास स्थान से शाला दूर हो।

सुविधाएँ

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाएँ निःशुल्क दी जाती है -

- निवास
- भोजन
- पलंग
- गादी
- बिस्तर
- गणवेश एवं अन्य समस्त सुविधाएँ

उत्कृष्ट छात्रावास

प्रत्येक जिले में जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर ये छात्रावास स्थापित किए गए हैं।

पात्रता

- बालक-बालिका कम से कम 60% अंक से उत्तीर्ण हो।
- बालक-बालिका ने किसी शाला में प्रवेश लिया हो।
- शाला निवास स्थान से दूर हो।
- बालक-बालिका अनुसूचित जाति या जनजाति के हों।

सुविधाएँ

इस योजना के अन्तर्गत कुछ विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। विशेष भोजन, पलंग, गादी, बिस्तर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, विभिन्न विषयों की कोचिंग सुविधा आदि निःशुल्क दी जाती हैं।

सम्भागीय आवासीय विद्यालय

प्रत्येक संभाग स्तर पर एक सम्भागीय आवासीय विद्यालय खोला गया है। विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

पात्रता

- पिछली कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों।
- इसके लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- अनुसूचित जाति व जनजाति के हों।

सुविधाएँ

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाएँ दी जाती हैं -

- प्रति कक्षा में 20 बालक और 20 बालिकाओं के लिए उत्तम सीटें।
- उत्कृष्ट भोजन, पौष्टिक आहार, नियमित नाश्ता निःशुल्क ।
- बिस्तर, पलंग, गादी, रजाई सहित सोने की उत्तम व्यवस्था।
- कम्प्यूटर, प्रयोगशाला, खेल का मैदान एवं सभी शिक्षा संबंधी अन्य उत्कृष्ट सुविधाएँ।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षा के योग्य छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक, मानसिक स्तर को बढ़ावा देना।

- छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण प्रदान करना।
- विज्ञान, गणित, कॉमर्स के विषयों पर विशेष महत्व दिया जाता है।

पोस्ट मेट्रिक छात्रावास

कक्षा 11वीं से उच्च शिक्षा में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए ये छात्रावास खोले गए हैं। छात्रावास में रहने वालों को छात्रवृत्ति दी जाती है। पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु भी ये छात्रावास खोले गए हैं।

छात्र गृह योजना

कक्षा 11वीं से उच्च शिक्षा तक अनुसूचित जाति, जनजाति के उन छात्र-छात्राओं को जो छात्रवृत्ति पाने की पात्रता रखते हैं उन्हें यह सुविधा विभाग द्वारा दी है। कम से कम 5 विद्यार्थी या इससे अधिक जो किराये का उपयुक्त भवन ले सकते हैं। उसका किराया विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही संबंधित छात्र-छात्राओं को पात्रतानुसार बढ़ी हुई छात्रवृत्ति की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान भी किया जाता है।

❑

अध्याय 6

स्वरोजगार योजनाएँ

गाँवों के गरीब वर्ग के लोग जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। लेकिन पैसे के अभाव में उनकी यह इच्छा पूरी होने में रुकावट आती है। ऐसे लोगों के लिए ''स्वरोजगार योजनाएँ'' शुरू की गई हैं ताकि लोग अपना व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बन सकें। अपना जीवन स्तर ऊँचा उठा सकें।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को निम्नलिखित रोजगार हेतु सहायता दी जाती है। जैसे-बकरी पालन, मुर्गा-मुर्गी पालन, किराना दुकान, आटा चक्की, टेम्पो रिक्शा, ट्रेक्टर, कपड़ा दुकान आदि।

सम्पर्क कहाँ करें

- जनजाति के व्यक्ति जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क करें।
- अनुसूचित जाति के व्यक्ति अन्त्यव्यवसायी निगम से सम्पर्क करें।

(**नोट**- अनुदान राशि शासकीय नियमानुसार दी जाती है।)

आय.टी.आई. (I.T.I.) में अध्ययन के लिए शिष्यवृत्ति योजना

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी शिक्षा के अवसर प्रदान

करना है। साथ ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक मदद देना। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति देने की योजना है। शासन द्वारा निर्धारित राशि ऐसे छात्रों को शिष्यवृत्ति स्वरूप प्रदान की जाती है।

पात्र हितग्राही

- छात्र या छात्रा अनुसूचित जाति व जनजाति के हों।
- आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हो। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

सहायता

इण्डो जर्मन टूल्स एक ऐसी प्रशिक्षण संस्था है जहाँ प्रशिक्षण के बाद रोजगार की 95% ग्यारंटी होती है। ऐसे प्रशिक्षण लेने के लिए इच्छुक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शासन शुल्क राशि प्रदान करता है।

❑❑❑

जागरूकता सम्बन्धी हमारे प्रकाशन

• भूल	नशे के दुष्परिणाम (कहानियाँ)
• आहार और जीवन	संतुलित एवं पौष्टिक आहार
• रोगों का घर	रोगों के कारण (नाटक)
• जब जागे तभी सवेरा	मद्यपान के दुष्परिणाम (नाटक)
• विनोद की वापसी	नशाखोरी के दुष्परिणाम (नाटक)
• वाह उस्ताद जयराम	मद्यपान के दुष्परिणाम (नाटक)
• बड़े काम आए नीम	नीम के औषधीय गुण (कहानी)
• पौष्टिक व्यंजन	पौष्टिक व्यंजन बनाने की विधियाँ
• गुड़ाखू की कहानी	तंबाकू से होने वाले नुकसान (कहानी)
• दांव	मद्यपान के दुष्परिणाम (कहानी)
• गोकरण का विवाह	कुष्ठ रोग से बचाव (कहानी)
• सेहत का मूलमंत्र	पोषण आहार
• सफाई से सेहत	स्वच्छता का महत्व
• बीमारियाँ क्यों ?	बीमारियों के कारण व रोकथाम
• शांति चली ससुराल	सही उम्र में विवाह (कहानी)
• ग्रामीण पेयजल योजना	ग्रामीण पेयजल योजना
• स्वच्छ शौचालय	स्वच्छ शौचालय
• स्वास्थ्य योजनाएँ	स्वास्थ्य योजनाएँ
• सुरक्षित मातृत्व	सुरक्षित मातृत्व
• घरेलू उपचार	घरेलू उपचार
• बीमा योजनाएँ	बीमा योजनाएँ
• सूरज का कमाल	सौर ऊर्जा का उपयोग

प्रकाशक : राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर (म.प्र.)

महालक्ष्मी नगर, सेक्टर 'आर', इन्दौर (म.प्र.)-452010, फोन : 2551917, 2574104 फैक्स : 0731-2551573

e-mail : srcindore@dataone.in ◆ literacy@satyam.net.in

मुद्रक : कलर ग्राफिक्स, इन्दौर ● फोन : 4071411